



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



29 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 171 राँची, मंगलवार,

19 मार्च, 2024 (ई०)

मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग

संकल्प

16 मार्च, 2024

विषय:- आम/उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्यों के संपादन में संलग्न पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यावधि से अधिक अवधि तक श्रमसाध्य कार्य करने के विरुद्ध देय पारिश्रमिक के संबंध में।

संख्या-01/मं०नि०वि०स्था०-01-04/2019/1129(A)--भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अवधि के अन्तर्गत आम/उप चुनाव का संपादन कराना अनिवार्य होता है। चुनाव कार्य में संलग्न पदाधिकारियों/कर्मियों को सामान्य कार्य दिवस तथा अवकाश के दिन भी देर रात्रि तक श्रमसाध्य पैंतालीस से साठ दिनों की अवधि होती है, के दरम्यान चुनाव कार्य में संलग्न पदाधिकारियों/कर्मियों के मनोबल को बनाये रखने के लिए, उन्हें पारिश्रमिक के तौर पर राशि उपलब्ध कराना आवश्यक है। इस प्रकार की व्यवस्था अविभाजित बिहार राज्य में वर्ष 1998 से प्रवृत्त थी, जिसे झारखण्ड राज्य में भी राज्य सृजन के पश्चात् अपनाया गया है। अवकाश के दिनों सहित सामान्य कार्य अवधि से

अधिक चुनाव कार्य संपादन हेतु पाँच वर्ष पूर्व निर्गत संकल्पसंख्या 140 दिनांक 31.5.2019 के द्वारा निर्धारित दर को संशोधित करना आवश्यक था ।

2. इस क्रम में गत पाँच वर्षों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हुई वृद्धि एवं सप्त्म् वेतन आयोग द्वारा संशोधित वेतनमान आदि को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन कार्य में संलग्न पदाधिकारियों/कर्मियों को निर्धारित अवकाश के दिनों सहित सामान्य कार्यावधि से अधिक देर रात्रि तक कार्य करने के निमित्त निम्न प्रकार से पारिश्रमिक का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है:-

क्रमांक	विवरण	राशि
1	अवकाश के दिन (क्षतिपूरक अवकाश देय नहीं)	
	(क) राजपत्रित पदाधिकारी Class II & above	850 रु० प्रतिदिन
	(ख) Class III / पर्यवेक्षक आदि	600 रु० प्रतिदिन
	(ग) Class IV / चालक / बॉडीगार्ड आदि	450 रु० प्रतिदिन
2	सामान्य कार्यदिवस (6 बजे संध्या से 10 बजे रात्रि तक)	225 रु० प्रतिदिन
3	सामान्य कार्यदिवस (रात्रि 10 बजे के पश्चात् या कुल कार्य अवधि 12 घंटे से अधिक)	450 रु० प्रतिदिन

- (क) उक्त पारिश्रमिक की राशि पाने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों की पात्रता का निर्धारण राज्य मुख्यालय स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा ।
(ख) पारिश्रमिक राशि बैंक एकाउंट में सीधे अंतरित की जाएगी ।
- पारिश्रमिक राशि की निकासी मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन के तहत संगत उपशीर्ष से की जाएगी ।
- प्रस्ताव एवं संलेख पर विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।
- प्रस्ताव एवं संलेख पर योजना-सह-वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० रवि कुमार,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव ।
